प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 27 मार्च, 2018

विषय- प्रदेश की 25 कारागारों में आधुनिक पाकशाला उपकरणों/मशीनें तथा समुचित वेण्टीलेशन हेतु पूर्व से स्वीकृत अवशेष बची धनराशि से जिला कारागार, सीतापुर में पाकशाला हेतु सभी उपकरण तथा कतिपय अन्य कारागारों में उपकरणों की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10785/आधु0-1/पाकशाला, दिनांक 20 मार्च, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-04 /2018/1086/22-4-17-48(7)/17, दिनांक 24.01.2018 द्वारा प्रदेश की 25 कारागारों में आधुनिक पाकशाला उपकरणों/मशीनें तथा समुचित वेण्टीलेशन हेतु इलेक्ट्रानिक चिमनी सिस्टम स्थापित कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि 5,00,00,000/- में से अवशेष बची धनराशि से जिला कारागार, सीतापुर में पाकशाला हेतु सभी उपकरण लागत रू0 18.80 लाख तथा निम्न तालिका में उल्लिखित कारागारवार उपकरणों की व्यवस्था हेतु रू0 10.20 लाख अर्थात कुल रू0 29,00,000/-(रूपया उन्तीस लाख मात्र) की लागत से कराये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

क्र0	प्रस्तावित कारागारें	कार्य मद	प्रस्तावित मात्रा	दर प्रति यूनिट	कुल लागत
1	जि0का0 शाहजहॉपुर, उन्नाव, उरई, इटावा	आटा गूँथने की मशीन	04	60000	240000
2	जि0का0 शाहजहॉपुर, उन्नाव, उरई, इटावा, मैनपुरी	पोटेटो पीलर मशीन	05	51500	257000
3	जि0का0 शाहजहॉपुर, उन्नाव, उरई, मैनपुरी, देवरिया	वेजिटेबिल कटर मशीन	06	50500	303000
4	जि0का0 शाहजहॉपुर, उन्नाव, उरई, इटावा	गेहूँ छानने की मशीन	04	55000	220000
				योग-	1020000

(क) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) प्रश्नगत उपकरण का क्रय सुसंसगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(ग) उक्त उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ एवं सम्बन्धित संस्था का होगा।

3- प्रश्नगत योजना की स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 24.01.2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-42/2018/369(1)/22-4-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा मुख्यालय, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in